# फर्द अहकाम

अज अदालत- ~~उपखण्ड अधिकारी~~, सहायक कलेक्टर भीनमाल

वादी/प्रार्थीगण — बनाम — प्रतिवादी/अप्रार्थी-

श्रीमति आशादेवी पत्नि अशोकजी भारकोरा चौधरी निवासी भीनमाल — जेठाराम पुत्र रणछोडराम कोरा चौधरी निवासी वारेरा

प्रकरण संख्या 12/2015 — कोरा मु. 12/2015

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | अस्थाई निषेधाज्ञा | |
| 16/9/2015 | प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री रमेश कुमार उधार द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। जो इजरा रजिस्टर हो। प्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा मामले में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया जाने पर प्रार्थीगण अधिवक्ता को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर उनका यथा प्रकरण का अवलोकन किया गया। उन्होंने प्रार्थीगण अधिवक्ता का प्रकरण का अवलोकन करने के पश्चात मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए मामले में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस क्रमांक की जारी की जाती है कि प्रार्थीगण संख्या 1 से 6 तक आगामी तारीख पेशी तक सम्बन्ध मौजा भीनमाल उमेश्वर वाकजित खारजी खसरा नम्बर 2307 | नोटिफाई क्रमांक 120 16/9/15 |

सहायक कलेक्टर भीनमाल

Scanned by CamScanner

..... बनाम .....

..... प्रकरण संख्या...../.....

किस्म मुकदमा .....

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर अहमव हुक्म में |
|---|---|---|
| 18/6/19 | बुलाया फरीकेन उपस्थित। अपीलार्थी 10 फोट के का.मु. सूची पेश करने हेतु अवसर चाहते है अवसर दिया जाता है एवं अपीलार्थी 1,2,13 & 16 उपरांत व डिगर अवशेष अपीलार्थीगण की तलबी हेतु प्रार्थी अधिवक्ता को आज ही नोटिस (तलबाना) भरकर पेश करने हेतु हिदायत दी जाती है पेश होने पर स्वयं के खर्चे से रजि० AD जारी हो मिसल तारीख 16.7.19 को पेश हो। | |

सहायक कलक्टर, भीनमाल

16/7/19 पत्रावली आमेश्य हुई। अपीलार्थी मय अपीलार्थी अधिवक्ता गैरहाजिर। अपीलार्थी मय अपीलार्थी अधिवक्ता को तीन बार अलग अलग आवाज लगाई गई। मगर हाजिर नहीं हुए। अतः अपीलार्थी का अपील पत्र अदम तालमेल अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बनस्तर मे कम हो।

सहायक कलक्टर